(आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 31281/78) O.I.G.S. डाक पंजीयन क्रमांक जयपुर सिटी/205/2024-26

सत्यमेव जयते

राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 48 अंक 3 Website:http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in 15 मार्च, 2025 मूल्य : 3.00 वार्षिक शुल्क 60 रु

मेगा रोजगार मेला

हिम्मत एवं हुनर के दम पर युवा हासिल करें मुकाम - राज्यवर्धन सिंह राठौड़

'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' एवं रोजगार मेले के अवसर पर माननीय केबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री श्री के. के. विश्नोई व अन्य अतिथिगण मंच पर आगन्तुक नियोजकों का आभार व्यक्त करते हुए।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुण्डियारामसर के खेल मैदान में दिनांक 8.03.2025 को एक द्विवसीय मेगा रोजगार मेले का उद्घाटन करते हुए **मुख्य अतिथि माननीय केबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग** ने कहा कि नारी शक्ति व युवा शक्ति विश्व को नई उचाईयाँ प्रदान कर सकते है। उन्होनें सभी युवाओं से कहा कि जीवन में हताश ना हो, असफलतओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बनायें । उन्होने कहा कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाकर उनके जीवन को खुशहाल बनाने में कार्य कर रही हैं। उन्होने कहा कि आगामी वर्ष में 1 लाख 25 हजार सरकारी नौकरियाँ एवं करीब 1 लाख 50 हजार निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जायेगा।

'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' एवं रोजगार मेले के अवसर पर माननीय केबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ व अन्य अतिथिगण मंच पर नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति-पत्र प्रदान करते हुए।

विशिष्ट अतिथि श्री के. के. विश्नोई माननीय मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने आगन्तुक आशार्थियों एवं नियोजकों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। **कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग** के **आयुक्त श्री गौरव सैनी** ने मेले का अवलोकन कर सभी आगन्तुक नियोजकों का आभार व्यक्त किया। वहीं **रोजगार विभाग के निदेशक श्री धर्मपाल मीणा** ने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत 577 करोड़ की राशि वितरित की है। **उपनिदेशक श्रीमती नवरेखा ने बताया** कि अतिथियों द्वारा 20 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति-पत्र प्रदान कियें गये एवं 10 निजी नियोजकों को सम्मानित किया गया।

मेगा रोजगार मेले मे 3893 आशार्थियों ने भाग लिया। उक्त मेगा रोजगार मेले में **निर्माण, लॉजिस्टिक, होटल, बैकिंग, मेडिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, फॉर्मा, सिक्योरिटी, कॉलसेन्टर, बीमा आदि क्षेत्रों से संबंधित 51 निजी नियोजकों ने भाग ले कर** अपनी रिक्तियों के साथ मौके पर ही 1107 युवा आशार्थियों का प्राथमिक चयन किया एवं प्रशिक्षण हेतु 408 आशार्थियों का चयन कर कुल 1515 आशार्थियों को लाभान्वित किया गया। इस मौके पर स्वरोजगार की जानकारी एवं कैरियर मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। इस मौके पर ITI, उद्योग केन्द्र, RSLDC, एवं NCS for SC/ST के अधिकारी एवं प्रतिनिधियों ने मेले में भाग ले कर अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की। **सेना भर्ती कार्यालय** ने मौके पर उपस्थित युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर रोजगार विभाग के श्री राघवेन्द्र सिंह (उप निदेशक), श्री हरीराम बडगुर्जर (उप निदेशक), श्री श्याम लाल साटोलिया (उप निदेशक), श्री जगदीश निर्वाण (उप निदेशक), श्री राजकुमार मीणा (उप निदेशक), श्री विवेक भारद्वाज (सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)), श्रीमती दीपिका चुण्डावत (सहायक निदेशक), श्री हनुमान सहाय मीणा (सहायक निदेशक), श्री संजीव सोलंकी (सहायक निदेशक), श्री हरीश कुमार नैनकवाल (सहायक निदेशक), श्रीमती सुमन कुम्पावत (सहायक निदेशक) सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/रा.न्या.से./सिविल. न्या. संवर्ग./2025/1287 **दिनांक 27.02.2025**

1.	परीक्षा का नाम	**सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2025**
2.	भर्ती प्रक्रिया के नियम	राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथा संशोधित) [Rajasthan Judicial Service Rules, 2010] (As amended)
3.	संवर्ग	सिविल न्यायाधीश संवर्ग (Civil Judge Cadre)
4.	पदनाम	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
5.	वेतनमान	77840-136520
6.	पदों की संख्या	कुल 44 रिक्त पद
7.	ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया	• ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा–निर्देश यथोचित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व दिशा–निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले एवं वेबसाईट को नियमित समयान्तराल पर देखते रहें। • Online Application भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध हैं। • आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और/या किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
8.	आवेदन करने की समय सीमा	दिनांक 01.03.2025 (शनिवार) को दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 30.03.2025 (रविवार) को सायं 05.00 बजे तक।
	ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा	दिनांक 01.03.2025 (शनिवार) को दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 31.03.2025 (सोमवार) को सायं 05.00 बजे तक।
	ऑनलाईन आवेदन (Online Application) करने व ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपर्युक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें।** ई–मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट–बैंकिंग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकेगी।	
9.	**प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक (Place, month and date of Priliminary and Main Examination)**	**राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर में आयोजित किये जाने की संभावना है। आवेदक अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर अन्य संभागीय/जिला मुख्यालयों पर भी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा आयोजित किये जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार **राजस्थान उच्च न्यायालय** के पास सुरक्षित है। परीक्षा के दिनांक व माह के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी।

10. **परीक्षा शुल्क (Examination Fee)** —

सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर श्रेणी)/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर श्रेणी)/अन्य राज्य के आवेदक (Candidate belonging to General, OBC-CL, MBC-CL categories and applicants of other state)	राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी)/अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक (Candidate belonging to OBC-NCL, MBC-NCL and Economically Weaker Sections categories of Rajasthan State)	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के आवेदक/भूतपूर्व सैनिक (Candidate belonging to SC, ST and Ex-servicemen categories of Rajasthan State)	दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities)
रूपये 1500/—	रूपये 1250/—	रूपये 800/—	शून्य

नोट— परीक्षा शुल्क की वापसी से सम्बन्धित किसी दावे (Claim) पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जाएगा, जब तक कि आवेदक को न्यायालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु आदेशित न किया गया हो।

11. **रिक्त पदों का विस्तृत विवरण**

Year	Total Number of Vacancies	General	Reserved					Persons with Benchmark Disabilities
			SC	ST	OBC	EWS	MBC	
2025	44	17 Out of which, 5 posts for women. Out of 5 posts reserved for women, 01 post for Widow	07 Out of which, 02 posts for women	05 Out of which 01 post for woman	09 Out of which 02 posts for women	04 Out of which 01 posts for woman	02	Out of 44 vacancies, 02 posts for Persons with Benchmark Disabilities, out of which **01 post for** (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; **01 post for** (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e)multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities.
Backlog Vacancies of 2024		1 post for Ex-serviceman	-	-	-	-	-	**01 post for** (b) deaf and hard of hearing; **01 post for** (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; **01 post for** (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e)multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities.
Backlog Vacancies of 2023		-	-	-	-	-	-	**01 post for** (b) deaf and hard of hearing;
Backlog Vacancies of 2022								**01 post for** (b) deaf and hard of hearing; **01 post for** (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e)multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities.

नोटः— उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

12. **विभिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में**:—

i. **महिलाओं** (विधवा एव विच्छिन्न–विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal against Categorywise vacancies) रूप से होगा।

ii. **भूतपूर्व सैनिक** हेतु आरक्षित पद का आरक्षण **प्रवर्गवार रिक्त पद के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal against Categorywise vacancy) रूप से होगा।

iii. दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध क्षैतिज** (Horizontal against total vacancies) रूप से होगा।

iv. क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण में, जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जाएगा।

v. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित)/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जाएगा।

vi. सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु, आरक्षित वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।

vii. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/अति पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। उक्त श्रेणी के अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

viii. राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

13. 1. **विभिन्न वर्गों (Various Categories) के प्रमाण–पत्र के सन्दर्भ में** :—

i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में राज्य की सेवाओं के लिए नियमानुसार जारी किया गया वैध जाति प्रमाण–पत्र (Caste Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

नोटः— अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा, लेकिन एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ–पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है। परन्तु उक्त तीन वर्ष की अवधि में, यदि अभ्यर्थी के क्रीमीलेयर में होने का कोई प्रमाण–पत्र जारी कर दिया जाता है तब शपथ पत्र पर भी पूर्व में क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को वैध नहीं माना जाएगा।

अर्थात् वर्तमान भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में, चूंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक **30/03/2025** है। अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक **31/03/2024** से **30/03/2025** की समयावधि में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक **31/03/2022** से **30/03/2024** की समयावधि में क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र, एक बार जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ–पत्र पेश करने पर दिनांक **31/03/2022** से **30/03/2024** की समयावधि में जारी उक्त प्रमाण पत्र को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा।

ii. दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी (Authorized Certifying Authority) द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रयुक्त सुसंगत नियमों के अनुसार निःशक्तता प्रमाण–पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा।

iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया वैध प्रमाण–पत्र (Income & Asset Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

नोटः— राज्य के लिये जारी **Income & Asset Certificate** एक वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त **Income & Asset Certificate** जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वित्तीय वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र पेश करने पर पूर्व में जारी **Income & Asset Certificate** को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा, ऐसा अधिकतम तीन वित्तीय वर्ष के लिये किया जा सकता है।

अर्थात् वर्तमान भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में, चूंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक **30/03/2025** है। अतः इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक **01/04/2024** से **30/03/2025** की समयावधि में जारी **Income & Asset Certificate** प्रस्तुत करना होगा, लेकिन यदि अभ्यर्थी को दिनांक **01/04/2022** से **31/03/2024** की समयावधि में एक बार **Income & Asset Certificate** जारी हो चुका है और अभ्यर्थी आगामी वित्तीय वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ–पत्र पेश करने पर दिनांक **01/04/2022** से **31/03/2024** की समयावधि में जारी उक्त प्रमाण पत्र (Income & Asset Certificate) को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा।

i. भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। परन्तु, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा, यदि किन्हीं कारणों से ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का एक शपथपत्र पेश करने पर कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को सम्बन्धित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी, ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद जारी प्रमाण–पत्र को ही उपयुक्त मान लिया जाएगा।

ii. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

iii. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

iv. विधवा महिला श्रेणी में आरक्षण का लाभ, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक ऐसे अभ्यर्थी के पति की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र (Death Certificate) प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

v. विच्छिन्न विवाह महिला (Divorced Woman) श्रेणी में आरक्षण का लाभ, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक ऐसे अभ्यर्थी का उसके पति से विवाह–विच्छेद (Divorce) हो जाने का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

vi. ऑनलाईन आवेदनपत्र करने की अन्तिम दिनांक तक विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन करने की अन्तिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग का लाभ दिया जाएगा। यदि आवेदक का विवाह विच्छेद सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है तो विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

vii. विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने एवं विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग में होने सम्बन्धी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification)**:—

i. कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक (व्यावसायिक) की उपाधि धारित ना करता हो।

(No Candidate shall be eligible for recruitment to the service unless he holds a degree of Bachelor of Laws (Professional) of any University established by Law in India and recognised as such under the Advocates Act, 1961)

ii. प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा तथा राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ियों (रीति–रिवाज) का गहन ज्ञान होना चाहिए।

(Every candidate must possess a thorough knowledge of Hindi Written in Devnagari script and Rajasthani dialects and social customs of Rajasthan.)

नोटः— विधि स्नातक (व्यावसायिक) के अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा, आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है परन्तु ऐसे आवेदक को वांछित शैक्षणिक योग्यता मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्व धारित करनी होगी और उसका प्रमाण (Proof) मुख्य लिखित परीक्षा होने के 07 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

Note:- Person who has appeared or is appearing in final year/final semester of LL.B. (Professional), shall be eligible to apply for the post. Such candidate has to acquire the requisite educational qualification before Main Examination and proof thereof has to be submitted to the office of Registrar (Examination), Rajasthan High Court, Jodhpur, within 07 days of holding of Main Examination.

15. **शारीरिक उपयुक्तता (Physical Fitness)** :—

किसी व्यक्ति को **सेवा** के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य से युक्त ना हो तथा ऐसे किसी दोष से मुक्त ना हो जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। भर्ती प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित किसी भी आवेदक को सेवा में नियुक्ति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त (FIT) ना पाया गया हो।

16. **राष्ट्रीयता (Nationality)**:—

सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।

(A candidate for appointment to the service must be a citizen of India.)

17. **आयु (Age)**:—

A candidate for direct recruitment to the cadre of Civil Judge must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 40 years on the first day of January following (01.01.2026) the last date fixed for receipt of applications, provided that :—

(i) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 5 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, More Backward Classes, Economically Weaker Sections and Women Candidates.

(ii) the upper age limit shall be relaxed by 10 years in case of the Ex-Servicemen. Provided that in

(क्रमशः)

case, permissible age after such relaxation of 10 years, work out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable.

Note- the above relaxation in age will be admissible only in one category.

(iii) the upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of the Persons with Benchmark Disabilities. Such age relaxation shall be in addition to the age relaxation already provided to different categories in Rajasthan Judicial Service Rules, 2010.

18. **चरित्र (Character)** :–

सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित (Qualify) करे। अभ्यर्थी को:–

(i) एक सच्चरित्रता प्रमाण–पत्र (Good Character Certificate), जो उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अन्तिम बार अध्ययन किया है, के प्रधानाचार्य/अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा एवं

(ii) दो सच्चरित्रता प्रमाण–पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से सम्बन्धित ना हों एवं उसके सम्बन्धी ना हों।

19. **नियुक्ति के लिए निरर्हताऐं (Disqualifications for Appointment)**:–

कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये या सेवा में बने रहने के लिए योग्य (Qualified) नहीं होगा:–

(क) यदि उसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है।

(ख) यदि वह किसी उच्च न्यायालय, सरकार या सांविधिक निकाय (Statutory Body) या स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) द्वारा सेवा से पदच्युत किया गया (Dismissed) या हटाया गया (Removed) है।

(ग) यदि वह नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था या किया गया है (If he was or is convicted for any offence involving moral turpitude) या किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी रूप से विवर्जित (Debarred) या निरर्हित (Disqualified) किया गया है।

(घ) यदि उसे अधिवक्ता रहते हुए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम, 25) या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन वृत्तिका अवचार (Professional Misconduct) का दोषी पाया गया हो।

(ड़) यदि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख को/के पश्चात् उसके दो से अधिक संतान (Children) हो :

- परन्तु किसी आवेदक को, जिसके दो से अधिक संतान (Children) है, नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या में, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को है, कोई बढ़ोतरी (Increase) नहीं होती है :
- परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्ववर्ती प्रसव (Earlier Delivery) से केवल एक ही संतान है किन्तु किसी पश्चात्‌वर्ती एकल प्रसव (Single Subsequent Delivery) से उसके एक से अधिक सन्तान पैदा हो जाती है, वहां सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई (Entity) समझा जाएगा।
- परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जाएगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो:

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है, जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे किसी पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

स्पष्टीकरण:–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से 280 दिन के भीतर पैदा हुई सन्तान निरर्हता का गठन नहीं करेगी (Shall not Constitute Disqualification)।

नोट:– राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 दिनांक 19.01.2010 को लागू (Commence) हुए हैं।

(च) यदि वह अपने विवाह के समय दहेज (Dowry) स्वीकार कर चुका है या करता है।

स्पष्टीकरण:– इस खण्ड में शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 26) में समनुदिष्ट (Assign) किया गया है।

20. **परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम (Scheme & Syllabus of Examination)**:–

(i) The competitive examination for the recruitment to the post of Civil Judge shall be conducted in two stages i.e. Preliminary Examination and Main Examination. The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidate who are declared qualified for admission to the Main Examination will not be counted for determining final merit.

(ii) The number of candidate to be admitted to the Main Examination will be fifteen times the total number of vacancies (category-wise) but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks on the last cut-off will be admitted to the Main Examination.

Note:-

a. To qualify for Main Examination, the candidates of SC/ST, Persons with Benchmark Disability and Ex-servicemen category shall have to secure minimum 40% marks in the Preliminary Examination. In case of non-availability of Ex-servicemen, furthermore 5 percent relaxation shall be applied to Ex-servicemen candidates;

b. To qualify for Main Examination, the candidates of all other categories shall have to secure 45% minimum marks in the Preliminary Examination.

(iii) The number of candidates to be admitted to the Interview shall be, as far as practicable, three times the total number of vacancies category-wise :

Provided that to qualify for Interview, a candidate shall have to secure a minimum of 35% marks in each of the Law Papers and 40% marks in aggregate in the Main Examination;

Provided further that a candidate belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, Persons with Benchmark Disability and Ex-servicemen category shall be deemed to be eligible for Interview, if he has obtained minimum of 30% marks in each of the Law Papers and 35% marks in the aggregate in the Main Examination.

(iv) It shall be compulsory to appear, in each and every paper of written test, as also before the Interview Board for viva voce. A candidate, who has failed to appear in any of the written paper or before the board for viva voce shall not be recommended for appointment.

(v) The examination scheme for recruitment to the cadre of Civil Judge shall consist of: -

a. **Preliminary Examination** (Objective Type)

b. **Main Examination** (Subjective Type)

c. **Interview**

a. **Preliminary Examination**:- The Preliminary Examination shall be an objective type examination in which 70% weightage will be given to the subjects prescribed in syllabus for Law Paper-I and Law Paper-II, and 30% weightage shall be given to test proficiency in Hindi and English language. The maximum marks for Preliminary Examination shall be 100 in which number of questions to be asked shall also be 100. However, there shall be no negative marking for wrong answers in Preliminary Examination. The Preliminary Examination shall be conducted on OMR Answer Sheets. The duration of Preliminary Examination shall be of 2 hours. The marks obtained in the Preliminary Examination shall not be counted for determining final merit.

Syllabus for Preliminary Examination

1. **Law** : Same as prescribed for Law Paper I & II for Main Examination.

2. **Hindi Proficiency** :

i. शब्द रचना : सन्धि एवं सन्धि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय।
ii. शब्द प्रकार :
(क) तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्‌भव, देशज, विदेशी।
(ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, सम्बन्ध सूचक, विस्मयबोधक निपात)।
iii. शब्द ज्ञान : पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, सम्बन्धवाची शब्दावली।
iv. शब्द शुद्धि।
v. व्याकरणिक कोटियाँ : परसर्ग, लिंग, वचन, पुरूष, काल, वृत्ति (Mood)] पक्ष (Aspect), वाच्य (Voice)।
vi. वाक्य रचना।
vii. वाक्य शुद्धि।
viii. विराम चिन्हों का प्रयोग।
ix. मुहावरे/लोकोक्तियाँ।
x. पारिभाषिक शब्दावली : प्रशासनिक, विधिक (विशेषतः)।

3. **English Proficiency:**

i. Tenses
ii. Articles and Determiners
iii. Phrasal Verbs and Idioms
iv. Active & Passive Voice
v. Co-ordination & Subordination
vi. Direct and Indirect Speech
vii. Modals expressing various concepts- (Obligation, Request, Permission, Prohibition, Intention, Condition, Probability, Possibility, Purpose, Reason, Companions, Contrast)
viii. Antonyms and Synonyms.

b. **Main Examination**:- The Main Examination shall consist of following subjects:

S.No.	Subjects	Paper	Marks	Duration
1.	Law	Law Paper-I	100	3 Hours
		Law Paper-II	100	3 Hours
2.	Language	Paper-I Hindi Essay	50	2 Hours
		Paper-II English Essay	50	2 Hours
3.	Interview	--	35	--

Syllabus for Main Examination

1. **Law Paper (I)-**

Code of Civil Procedure, 1908, The Constitution of India, Indian Contract Act, 1872, The Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023, The Indian Evidence Act, 1872, The Limitation Act, 1963, The Specific Relief Act, 1963, The Transfer of Property Act, 1882, Interpretation of Statues, The Rajasthan Rent Control Act, 2001, Hindu Laws (i.e. Hindu Marriage Act, 1955, Hindu Adoption & Maintenance Act, 1956, Hindu Succession Act, 1956, Hindu Minority & Guardianship Act, 1956), Rajasthan Court Fees & Suits Valuation Act, 1961, The Rajasthan Land Revenue Act, 1956, Partnership Act, 1932, The sale of Goods Act, 1930, The Registration Act, 1908, Mohammaden Law (relating to Succession, Marriage, Divorce, Maintenance & Adoption) and Order/Judgment Writing.

2. **Law Paper (II)-**

The Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, The Code of Criminal Procedure, 1973, The Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023, The Indian Evidence Act, 1872, The Bhartiya Nyay Sanhita, 2023, The Indian Penal Code, 1860, The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, The Negotiable Instrument Act, 1881, The Probation of Offenders Act, 1958, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, Rajasthan Excise Act, 1950, The Information Technology Act, 2000 and Framing of Charge /Judgment Writing.

3. **Language-**

(a) Paper-I Hindi Essay
Essay Writing in Hindi Language.

(b) Paper-II English Essay
Essay Writing in English Language.

c. **Interview:-**

In interviewing a candidate, the suitability for employment to the service shall be tested with reference to his record at the School, College and University, and his character, personality, address and physique. The questions, which may be put to him, may be of a general nature and will not necessarily be academic or legal. The candidate will also be put questions to test his general knowledge including knowledge of current affairs and present-day problems. Marks shall also be awarded for the candidate's proficiency in the Rajasthani dialects and his knowledge of social customs of Rajasthan. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each candidate.

List of candidates:-

After interview, a list of the candidates shall be prepared in the order of their performance on the basis of their aggregate marks. If two or more of such candidates obtain equal marks in the aggregate, they shall be arranged in the order of merit on the basis of their general suitability for service and their names shall be recommended for appointment accordingly:

Provided that :

(i) A candidate of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, Persons with Benchmark Disability category shall not be recommended for appointment unless he obtains minimum 35% marks in the aggregate of Written Examination and the Interview;

(ii) A candidate of Ex-servicemen category shall not be recommended for appointment unless he obtains minimum 35% marks in the aggregate of Written Examination & the Interview and in case of non-availability of Ex-servicemen, furthermore 5 percent relaxation shall be given;

(iii) In the case of other candidates, unless he obtains minimum 40% marks in the aggregate of written examination and the interview.

Note :

The general suitability for service of the candidates securing equal aggregate marks in Main Examination and Interview shall firstly be determined on the basis of higher marks

(क्रमशः)

obtained in the Interview and in case, the candidates secure equal marks even in Interview, the merit shall be determined having regard to age i.e. the candidate, older in age shall be given higher place in merit.

21. **आवेदन सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions to Apply)**:–

1. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। **आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी।**
2. आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। अतः ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
4. एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा।
5. आवेदक ऑनलाईन आवेदन भरते समय अपना नवीनतम फोटोग्राफ ही अपलोड करें। इसके अतिरिक्त आवेदक को ऐसा फोटोयुक्त पहचान–पत्र (वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट एवं आधार कार्ड में से कोई भी एक) भी अपलोड करना होगा जिस पर अंकित फोटोग्राफ, आवेदन–पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ तथा स्वयं आवेदक के सदृश हो तथा प्रत्येक परीक्षा एवं साक्षात्कार के समय भी वही मूल फोटोयुक्त पहचान–पत्र साथ लेकर आना आवश्यक होगा।

22. **प्रवेश–पत्र (Admission Card)** :–

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश–पत्र अधिकृत वेबसाईट पर Upload किए जाएंगे तथा **डाक से कोई प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा**। परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र Upload किए जाने की सूचना अधिकृत वेबसाईट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदक अपने (i) **User Name** एवं (ii) **Password** एवं (iii) **Captcha Code** के आधार पर अपना प्रवेश–पत्र वेबसाईट से **Download** कर सकेंगे।

23. **अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate)**:–

राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

24. **अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश (Other Important Instructions)**:–

1. प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात् प्रश्न–पत्र की आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। इस प्रकार प्रकाशित की गयी आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आपत्तियां, प्रति प्रश्न 250/– रूपये शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर, राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्धारित समयावधि में विहित रीति से भिजवाई जा सकेंगी। एक बार भुगतान की गई शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली अथवा किसी अन्य माध्यम अथवा निर्धारित शुल्क राशि का भुगतान किए बिना प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सक्षम समिति द्वारा विचार कर, आवश्यकता होने पर, पुनरीक्षित उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है तथा इसके साथ ही प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है।
2. **"राजस्थान सूचना का अधिकार (उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006", के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इस भर्ती से संबंधित वांछित सूचना, भर्ती प्रक्रिया के लम्बनकाल के दौरान प्रदान नहीं की जा सकेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् वांछित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम (Final Result) घोषित किए जाने की दिनांक से 6 माह की अवधि में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर ही सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकेगी। अन्तिम परिणाम घोषित किए जाने के 6 माह पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी।**
3. अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण–पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर (on being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
4. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।
5. प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर अपलोड करके संसूचित किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से संसूचित नहीं किया जाएगा।
6. **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा–कक्ष/परीक्षा–केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices), पर्स या कोई हथियार इत्यादि अपने साथ लेकर नहीं आये। ऐसी किसी वस्तु या अन्य किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के साथ परीक्षा कक्ष/परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय की नहीं होगी।**
7. **परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएें, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश–पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही परिसर/कक्ष में ले जा सकता है।**
8. **परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।**
9. ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया है, उनको ही **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश–पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियां सही और ठीक मान ली गई हैं। **राजस्थान उच्च न्यायालय** द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन/महिला/विधवा/विच्छिन्न विवाह महिला/भूतपूर्व सैनिक आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
10. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड–बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है, न ही भविष्य में किया जाएगा।
11. सेवा में नियुक्ति पर अभ्यर्थियों को नियमानुसार परिवीक्षा काल पर रखा जाएगा।
12. पेन्शन नियमानुसार देय होगी।

25. **श्रुत लेखक (Scribe) की सुविधा**:– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। इस संदर्भ में ऐसे दिव्यांगजन जो श्रुतलेखक की सुविधा चाहते हैं, उन्हें प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किये जाने की दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण–पत्र सहित रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा। अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए परीक्षार्थी को यह सुविधा देय नहीं होगी।

26. **अनियमित या अनुचित साधनों द्वारा नियोजन (Employment of irregular or Improper Means)**:– कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज जिनमें गडबड की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन, काम में लाने या किसी भी तरह से अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का दोषी है या नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो, स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जाएगा–

(a) नियुक्ति प्राधिकारी/भर्ती प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से, अथवा

(b) सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से

27. **अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम (Prevention of use of Unfair Means)**:–परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही किया जाना भी सम्मिलित है।

28. **संयाचना (Canvassing)**:–नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

29. **हैल्प लाईन (Help Line)** :–

ऑनलाईन आवेदन व परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी हेतु **हैल्प लाईन (Help Line)** नम्बरों 0291–2888100 एवं 2888101 पर कार्यालय समय के दौरान **(During Office Hours)** सम्पर्क करें।

30. **वेबसाईट (Website)**:–

राजस्थान उच्च न्यायालय की **अधिकृत वेबसाईट** : www.hcraj.nic.in

नोटः– उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित कर प्रेषित किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई–मेल से प्रेषित किसी भी प्रतिवेदन/प्रार्थना पत्र आदि को विचार में नहीं लिया जाएगा।

रजिस्ट्रार (परीक्षा)

घोषणा

फार्म–4 (नियम 8 देखिये)

1.	प्रकाशन स्थान	–	जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	–	पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	–	डॉ. संजीव सोलंकी
	क्या भारत का नागरिक है	–	हां
	यदि विदेशी है तो मूल देश	–	नहीं
	पता	–	कार्यालय राजस्थान रोजगार संदेश दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग जयपुर (राज.)
4.	प्रकाशक का नाम	–	डॉ. संजीव सोलंकी
	क्या भारत का नागरिक है	–	हां
	यदि विदेशी है तो मूल देश	–	नहीं
	पता	–	कार्यालय राजस्थान रोजगार संदेश दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग जयपुर (राज.)
5.	सम्पादक का नाम	–	डॉ. संजीव सोलंकी
	क्या भारत का नागरिक है	–	हां
	यदि विदेशी है तो मूल देश	–	नहीं
	पता	–	कार्यालय राजस्थान रोजगार संदेश दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग जयपुर (राज.)
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते	–	समस्त स्वामित्व
	जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत	–	राजस्थान सरकार
	से अधिक के साझेदार व	–	रोजगार सेवा निदेशालय
	हिस्सेदार हैं।	–	राजस्थान, जयपुर

मैं डॉ. संजीव सोलंकी मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक यह घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण पूर्णतः सत्य हैं।

डॉ. संजीव सोलंकी
(मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भारतीय नौसेना में सिविलियन कार्मिकों की भर्ती–2025
भारतीय नौसेना में बोट क्रू स्टाफ के कर्मचारियों की भर्ती
अधिसूचना संख्या 01/2025–बीसीएस

1. भारतीय नौसेना द्वारा समूह 'ग', अ-राजपत्रित, गैर-औद्योगिक के रूप में वर्गीकृत बोट क्रू स्टाफ के पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित हैं. भारतीय नौसेना की वेबसाइट **www.joinindiannavy.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं. इन पदों में सेरांग ऑफ लस्कर, लस्कर-I, फायरमैन और टोपास के पद शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों को आमतौर पर मुख्यालय, पश्चिमी नौसेना कमान, मुंबई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत इकाइयों में काम करना होगा. परन्तु, उन्हें प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार भारत में कहीं भी नौसेना इकाइयों/संरचनाओं में तैनात किया जा सकता है. रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :-

सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर-औद्योगिक

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्तियों का वितरण* (* परिवर्तन के अधीन)									रोजगार के लिए कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त दिव्यांगता श्रेणियां	पे मैट्रिक्स (7वें सीपीसी के अनुसार)
		अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	अना	कुल	समानांतर आरक्षण				
								पीडब्ल्यूबीडी	भूपूसै	पूर्व अग्निवीर		
(क)	सेरांग ऑफ लस्कर	08	04	15	05	25	57	02	05	05	01-दृबा, 01-(डी एंड ई), (एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एमएफ, एसई,सी)	पे मैट्रिक्स का लेवल 4 (रु. 25500-81100/-)
(ख)	लस्कर-I	32	13	50	19	78	192	07	15	15	01-दृबा, 03-श्रबा, 01-अवि 02-(डी एंड ई), (एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एमएफ, एसई,सी)	पे मैट्रिक्स का लेवल-1 (रु. 18000-56900/-)
(ग)	फायरमैन (बोट क्रू)	16	05	13	08	31	73	02	01	01	02-(डी एंड ई) (एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एमएफ, एसई,सी)	
(घ)	टोपास	01	01	-	01	02	05	-	-	-	-	

उपरोक्त रिक्तियों में नीचे दी गई बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं :-

क्र. सं.	पद का नाम	अजा	अजजा	अपिव	कुल	पीडब्ल्यूबीडी
(a)	लस्कर-I	22	09	02	33	01 (अवि) और 02 (डीएंडई)
(b)	फायरमैन (बोट क्रू)	03	02	-	05	-
(c)	टॉपस	01	-	-	01	-

पीडब्ल्यूबीडी के लिए अपेक्षित शारीरिक उपयुक्तता – सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना **संख्या** 38-16-2020-डीडी-III **दिनांक** 04 जनवरी 2021 द्वारा चिह्नित पदों के अनुसार, अधिसूचना संख्या 30-12/2020-**डीडी-III दिनांक** 24 अगस्त 2022 के अनुसार संशोधित, बेंचमार्क दिव्यांगता की निम्नलिखित उपयुक्त श्रेणियों से संबंधित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार तदनुसार उपरोक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं :-

क्र. सं.	पद का नाम	बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणियां जो कार्यात्मक आवश्यकता वाले पदों के लिए उपयुक्त हैं
(क)	सेरांग ऑफ लस्कर	(क) अदृ (ख) ब, श्रबा (ग) सीपी, कुउ, बौ, एहपी (घ) एएसडी (एम, एमओडी), एसएलडी, एमआई (ङ) एमडी (जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हैं.
(ख)	लस्कर-I	
(ग)	फायरमैन (बोट क्रू)	
(घ)	टोपास	(क) ब, श्रबा (ख) एपै (बिना किसी संबद्ध न्यूरोलॉजिकल या अंग संबंधी शिथिलता के एसडी, एसआई), (ग) सीपी, कुउ, बौ, एहपी (घ) एएसडी (एम, एमओडी), एसएलडी, एमआई (ङ) एमडी (जिसमें उपरोक्त (क) से (घ) शामिल हैं.

* एसडी/एसआई से संबंधित अंग विकार वाले व्यक्तियों को संबंधित उप श्रेणी जैसे एपै, एहा जैसा भी मामला हो, आदि के अंतर्गत कवर किया जाएगा.

नोट :- दिव्यांगजन उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना जीएसआर 591 (ई) दिनांक 15 जून 2017 के नियम 18 (1) में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में हो. यह प्रारूप निम्नांकित लिंक : **www.joinindiannavy.gov.in > Join Navy > Ways to Join > Civilian > Boat Crew Staff** पर भी उपलब्ध है. यह टैब भर्ती पोर्टल से जुड़ा हुआ है. यह प्रारूप भर्ती पोर्टल में **'Reference Documents'** के अंतर्गत उपलब्ध है.

2. **प्रयुक्त संकेताक्षर** : **अना**- अनारक्षित, **अजा**- अनुसूचित जाति, **अजजा**- अनुसूचित जनजाति, **अपिव**- अन्य पिछड़े वर्ग, **ईडब्ल्यूएस**- आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, **पीडब्ल्यूबीडीएस**- बेंचमार्क दिव्यांगताओं से सम्बद्ध व्यक्ति, **भूपूसै**- भूतपूर्व सैनिक, **दृबा**- दृष्टि बाधित, **श्रबा**- श्रवण बाधित, **अवि**- अस्थि दिव्यांग, **एपै**- एक पैर प्रभावित, **एहा**- एक हाथ प्रभावित, **एसडी**- रीढ़ की हड्डी की विकृति, **एसआई**- रीढ़ की हड्डी की चोट, **अदृ**- अल्प, दृष्टि, **ब**- बहरा, **सीपी**- सेरेब्रल पल्सी, **कु.उ.**- कुष्ठ रोग उपचारित, **बौ**- बौनापन, **एहवी**- एसिड हमला पीड़ित, **एएसडी (एम, एमओडी)**- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (**एम**- माइल्ड, **एमओडी**- मोडरेट), **एसएलडी** - सीखने संबंधी विशेष अक्षमता, **एमआई** - मानसिक बीमारी, **एमडी** - एकाधिक दिव्यांगता, **एस**- बैठकर (बेंच या कुर्सी पर) किए गए कार्य, **एसटी** - खड़े होकर किया जाने वाला कार्य, **डब्ल्यू**- चलकर किया जाने वाला कार्य, **बीएन** - झुककर किए गए कार्य, **एमएफ**- अंगुलियों से किए जाने वाले कार्य, **एसई**- देखकर किए जाने वाले कार्य, **सी**- संचार.

3. **आरक्षण** : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/भूपूसै श्रेणियों के लिए आरक्षण मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार उपलब्ध है. आरक्षित रिक्तियों को पात्र अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों से अलग से भरा जाएगा, जो अना श्रेणी की योग्यता सूची में अंतिम सामान्य उम्मीदवार की तुलना में मैरिट में कम हैं या ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने संबंधित श्रेणी के लिए आयु में छूट प्राप्त की है, भले ही योग्यता सूची में उनका स्थान कोई भी हो. इसी प्रकार, पीडब्ल्यूबीडी और भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्तियां संबंधित श्रेणी के ऐसे पात्र उम्मीदवारों में से भरी जाएंगी, जो अनारक्षित श्रेणी की योग्यता सूची में अंतिम सामान्य उम्मीदवार की तुलना में योग्यता में कम हैं, लेकिन अन्यथा मानकों, आयु सीमा आदि में ढील देकर भी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं. पीडब्ल्यूबीडी भूपूसै और पूर्व-अग्निवीर के लिए आरक्षण समानांतर आरक्षण की श्रेणी में आता है जो लंबवत आरक्षण यानी अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण (जिसे इंटर-लॉकिंग आरक्षण कहा जाता है) के अंतर्गत आरक्षण में समायोजित किया जाता है. पीडब्ल्यू, आरबीडीएस, भूपूसै और पूर्व-अग्निवीर कोटा के लिए चुने गए उम्मीदवारों को अना/अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस की उपयुक्त श्रेणी में रखा जाएगा, जैसा भी मामला हो.

4. **अनिवार्य योग्यता :**

क्र.सं.	पद का नाम	अनिवार्य योग्यता
(क)	सेरांग ऑफ लस्कर	**(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान** या बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण. **(ख) अंतर्देशीय पोत अधिनियम**, 1917 या मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के तहत दिया गया सेरांग प्रमाण पत्र. **(ग) बीस अश्वशक्ति** के पंजीकृत पोत के सेरांग प्रभारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव.
(ख)	लस्कर-I	(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण. (ख) तैराकी का ज्ञान. (ग) पंजीकृत पोत पर एक वर्ष का अनुभव.
(ग)	फायरमैन (बोट क्रू)	(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण. (ख) तैराकी का ज्ञान. (ग) पूर्व-समुद्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र.
(घ)	टोपास	(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण. (ख) तैराकी का ज्ञान.

नोट : (क) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 के तहत दिया गया सेरांग प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाएगा क्योंकि अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 को अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है.

(ख) सेरांग ऑफ लस्कर और लस्कर-I के पदों के लिए प्राप्त अनुभव मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 या अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917/2021 के तहत पंजीकृत पोत पर वैध 'सर्वेक्षण प्रमाणन' के साथ प्राप्त किया जाना चाहिए. यदि पोत मछली पकड़ने वाला पोत है, तो पोत को समुद्री मत्स्यपालन विनियमन अधिनियम, 1978 या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के किसी भी मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम के अनुसार पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए.

(ग) फायरमैन के पद के लिए, प्री-सी ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने का प्रमाण पत्र महानिदेशक शिपिंग (डीजीएस) परिपत्र संख्या 18/2020 दिनांक 24 अप्रैल 2020 और परिपत्र संख्या 20/20 दिनांक 27 मई 2020 के अनुसार होना आवश्यक है. कोर्स पूरा करने के प्रमाण पत्र का प्रारूप डीजीएस परिपत्र संख्या 20/2020 में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार होगा. 01 जून 2020 से पहले दिए गए प्रमाण पत्रों के लिए, प्री-सी ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने का प्रमाण पत्र उस प्रासंगिक अवधि के लिए समय-समय पर जारी डीजीएस परिपत्रों/आदेशों के अनुसार होना चाहिए. समुद्री प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) का नाम और लोगो प्रमाण पत्र के शीर्ष पर एमटीआई संख्या और प्रमाण पत्र संख्या का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए. एमटीआई को समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान महानिदेशक शिपिंग द्वारा पंजीकृत और अनुमोदित होना आवश्यक है. उम्मीदवारों को निम्नलिखित अनुलग्नक प्रस्तुत करने होंगे :-

(i) **अनुलग्नक 1**– समुद्र-पूर्व पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रति (डिग्री/डिप्लोमा/पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र)

(ii) **अनुलग्नक 2** – अनुमोदित जहाज प्रशिक्षण की टीएआर बुक/कैडेट रिकॉर्ड बुक के सफल मूल्यांकन के प्रमाण. पत्र की प्रति.

(क्रमशः)

(घ) ऑनलाइन आवेदन भरते समय अनुभव और अनिवार्य योग्यता साबित करने के लिए सभी सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है. दस्तावेजों के सत्यापन/नियुक्ति-पूर्व औपचारिकताओं के समय इनका सत्यापन किया जाएगा. भारतीय नौसेना को संबंधित अधिकारियों के साथ सभी सहायक दस्तावेजों का पुनरीक्षण, जांच या/और सत्यापन पूरा करने के बाद ही अनंतिम नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने का अधिकार सुरक्षित है.

5. दायित्वों की प्रकृति/कार्य का स्वरूप, संक्षेप में : अधिसूचित किए जा रहें पदों के सांकेतिक दायित्व और जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं :-

क्र.सं.	पद का नाम	दायित्वों का स्वरूप
(क)	सेरांग ऑफ लस्कर	फेरी क्राफ्ट, एसी लाइटर और बड़े पावरबोट जैसे छोटे क्राफ्टों का स्वतंत्र प्रभार संभालेंगे. उपर्युक्त क्राफ्टों/क्राफ्टों के प्रभारी के रूप में तैनात होने पर क्राफ्ट के मास्टर के सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे. वे बड़े जहाजों में, निम्नलिखित के लिए मास्टर के प्रति उत्तरदायी होंगे :- (i) डेक पर काम का सामान्य पर्यवेक्षण. (ii) जहाज/जेटी या मूरिंग के साथ क्राफ्ट को सुरक्षित करना और जहाज को उतारना. (iii) जहाज के किनारे जाते समय और जहाज को उतारते समय सुरक्षा उपाय. (iv) कॉर्डेज, वायर रोप्सत, कैनवास गियर, पानी की नली, ईंधन की नली, लाइफबोट, लाइफबॉय, गैंगवे, डेविट, डेरिक और अन्य डेक फिटिंग का रखरखाव करना. (v) एंकर केबल, शिप राइड, स्टोर, डेक कार्गो/ताजे पानी की टंकियां और मेस डेक और मशीनरी डिब्बों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों का रखरखाव और सफाई. (vi) मास्टर-इंचार्ज द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य.
(ख)	लस्कर-I	(i) समुद्र में, बंदरगाह में और यात्राओं में आवागमन के लिए क्राफ्ट के उपयोग के दौरान यार्ड क्राफ्ट के रोप वर्क, लंगर कार्य, लाइन फेंकना, स्प्लिसेस आदि को संभालना. (ii) यार्ड क्राफ्ट के डेक साइड की चिपिंग/पेंट करना सहित डेक का रखरखाव करना. (iii) रोटेशन के आधार पर तीन शिफ्टों में यार्ड क्राफ्ट की निगरानी करना. (iv) यार्ड क्राफ्ट के अधिकारियों द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य.
(ग)	फायरमैन (बोट क्रू)	(i) क्षति नियंत्रण सहित जहाज पर स्थिर और पोर्टेबल अग्निशामक प्रणाली का रखरखाव और संचालन. (ii) यार्ड क्राफ्ट और बिल्ज पर इंजन कक्ष और सभी संबंधित डिब्बों की सफाई और रखरखाव. (iii) इंजन कक्ष और यार्ड क्राफ्ट के सभी संबंधित डिब्बों की चिपिंग/पेंटिंग. (iv) यार्ड क्राफ्ट के सुचारू संचालन और रोटेशन के आधार पर शिफ्टों में निगरानी के लिए इंजन कक्ष प्रभारी की सहायता करना. (v) यार्ड क्राफ्ट के अधिकारियों द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य.
(घ)	टोपास	(i) यार्ड क्राफ्ट पर बाथरूम और शौचालय की सफाई, डेक की सफाई और डेक क्रू को उनके काम में मदद करना, रस्सियों को संभालना और पास करना, पेंटिंग, चिपिंग आदि. (ii) यार्ड क्राफ्ट के अधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य.

नोट : यहां दर्शाए गए कार्य केवल संकेतात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं. भारतीय नौसेना का यूजर विभाग इस स्तर के कार्मिकों द्वारा सामान्यतः किए जाने वाले कार्यों की सूची में अन्य कोई कार्य भी जोड़ सकता है.

6. आयु सीमा : निर्णायक तिथि को 18 से 25 वर्ष के बीच.

7. आयु में छूट और निर्णायक तारीख :

(क) आयु में छूट :

क्र. सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा से परे स्वीकार्य आयु में छूट
(i)	अजा/अजजा*	05 वर्ष*
(ii)	अपिव*	03 वर्ष*
(iii)	पीडब्ल्यूबीडीज	अना-10 वर्ष, अपिव* - 13 (10+3) वर्ष'*, अजा/अजजा*-15 (10+5) वर्ष*.
(iv)	भूपूसै	सैन्य सेवा अवधि + 3 वर्ष
(v)	दिव्यांग रक्षा सेवा कार्मिक	03 वर्ष (अजा/अजजा के लिए 08 वर्ष)*
(vi)	पूर्व-अग्निवीर	अग्निपथ योजना के प्रथम बैच के लिए 05 वर्ष और अन्य बैचों के लिए 03 वर्ष
(vi)	विभागीय उम्मीदवारए जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को केंद्र सरकार में 03 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा पूरी की हो	40 वर्ष तक (अजा/अजजा के लिए 45)*
(vii)	विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं और वे महिलाएं जो न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हो चुकी हैं और जिनका पुनर्विवाह नहीं हुआ है	35 वर्ष की आयु तक (अजा/अजजा के लिए 40 वर्ष तक)*

*अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए आयु में छूट केवल उन पदों के लिए लागू है, जिनमें रिक्तियां संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं (ऊपर पैरा 1 में रिक्तियों की तालिका देखें). अन्य सभी पात्र श्रेणियों के लिए आयु में छूट भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मौजूदा नियमों के अनुसार होगी.

(ख) निर्णायक तिथि. आयु सीमा और अनुभव सहित पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी. संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को जन्म तिथि का प्रमाण माना जाएगा. जिन मामलों में दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख नहीं है, वहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को जन्म तिथि का प्रमाण माना जाएगा.

8. चयन का तरीका : पदों के लिए चयन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा. अन्य प्रावधान इस प्रकार हैं :-

(क) आवेदनों की जांच : भारतीय नौसेना उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगी. दस्तावेज की विस्तृत जांच बाद के चरण में की जाएगी.

(ख) आवेदनों की संक्षिप्त-सूची तैयार करना : यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या (शैक्षणिक योग्यता के रूप में मैट्रिकुलेशन वाले पदों के लिए) रिक्तियों के अनुपात में बहुत अधिक होगी और विभाग के लिए सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा, तो भारतीय नौसेना अपने विवेक से लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले पात्र उम्मीदवारों की संख्या सीमित कर सकती है. इसके लिए प्राप्त एवं वैध पाए गए आवेदनों में से रिक्तियों की संख्या के 1:25 के अनुपात मेंए मैरिट के आधार पर संक्षिप्तो सूची तैयार की जाएगी, जिसका आधार किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त बोर्ड अंकों को बनाया जाएगा. केवल बुनियादी चयन मानदंड पूरे करने से किसी व्यक्ति/आवेदक को लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा.

(ग) लिखित परीक्षा की योजना : सभी चयनित/पात्र उम्मीदवारों को संबद्ध पदों के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें अनिवार्य योग्यता के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे. सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर, परीक्षा प्रश्नत-पत्र द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) होगा. परीक्षा का तरीका ई-प्रवेश पत्र के साथ भेजे जाने वाले निर्देशों में सूचित किया जाएगा (ई-प्रवेश पत्र नीचे दिए लिंक **www.joinindiannavy.gov.in > Join Navy > Ways to Join > Civilian > Boat Crew Staff** से डाउनलोड करना होगा. यह टैब भर्ती पोर्टल से जुड़ा हुआ है. एकल परीक्षा पत्र में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाएगा :-

भाग	विषय	अधिकतम अंक	
		सेरांग ऑफ लस्कर, लस्कर-1 और फायरमैन के लिए	टॉपस के लिए
(i)	सामान्य बुद्धि, तर्क योग्यता और संख्यात्मक योग्यता	20	40
(ii)	सामान्य अंग्रेजी	20	40
(iii)	सामान्य जागरूकता	10	20
(iv)	सम्बद्ध क्षेत्र में जागरूकता	50	-
कुल		100	100

(घ) परीक्षा के लिए संकेतात्मक सिलेबस

(i) **सामान्य बुद्धि, तर्क योग्यता और संख्यात्मक योग्यता** : इस खंड में भाषिक और गैर-भाषिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे. जिनमें सादृश्यय, समानताएं और अंतर, स्थल परिकल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विवेकपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणा, भाषिक और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-भाषिक श्रृंखला आदि पर प्रश्न शामिल होंगे. इसमें अमूर्त विचारों, प्रतीकों और उनके संबंधों, अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों से निपटन की उम्मीदवार की क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए प्रश्न भी शामिल होंगे. इस खंड में संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव, भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, डिस्काउंट, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और काम आदि से संबंधित समस्याओं पर प्रश्न शामिल होंगे.

(ii) **सामान्य अंग्रेजी** : उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा की समझ के परीक्षण के अलावा, इस खंड में इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम और भाषा के सही उपयोग आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे.

(iii) **सामान्य जागरूकता** : इस खंड में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान सहित सामान्य नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे. ये प्रश्न ऐसे होंगे कि इनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है.

(iv) **सम्बद्ध क्षेत्र में जागरूकता** : परीक्षा में निर्दिष्ट अनिवार्य योग्यता के अनुसार संबद्ध पद से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे.

(कक) सेरांग ऑफ लस्कर के लिए, प्रश्न मुख्य रूप से नाविक कौशल, नेविगेशन, आरओआर, ज्वार और धारा का बुनियादी ज्ञान और जहाज के बंधे होने पर जिम्मेदारियां, पुल उपकरण, आपातकालीन प्रक्रियाएं, सुरक्षा/जीवन रक्षक उपकरण/अग्नि निवारण और अग्निशमन उपकरण, जहाज का संचालन आदि से संबंधित होंगे.

(कख) लस्कर-1 के लिए, प्रश्न मुख्य रूप से उत्तरजीविता तकनीक, प्राथमिक चिकित्सा, अग्नि निवारण और अग्निशमन, व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी, निगरानी और सुरक्षा के दायित्व, बुनियादी नाविक कौशल/नेविगेशन/कार्गो हैंडलिंग/सहायता स्तर पर पोत संचालन को नियंत्रित करने, आदि से संबंधित होंगे.

(कग) फायरमैन के लिए, प्रश्न मुख्य रूप से उत्तरजीविता तकनीक, प्राथमिक चिकित्सा, अग्नि निवारण और अग्निशमन, व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी में दक्षता से संबंधित होंगे.

(ङ) **टाई का समाधान** : यदि चयन परीक्षा में दो या दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक समान हैं, तो मौजूदा नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया मान्य होगी :

(i) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को मेरिट सूची तैयार करने के लिए प्रथम चरण/मानदंड माना जाएगा.

(ii) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक समान होने की स्थिति में योग्यता सूची में शामिल होने के लिए जन्म तिथि पर विचार किया जाएगा, आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को योग्यता क्रम में उच्च स्थान दिया जाएगा.

(iii) जन्म तिथि समान होने की स्थिति में वर्णानुक्रम के अनुसार जिस उम्मीदवार का नाम पहले आएगा, उसे योग्यता क्रम में उच्च स्थावन दिया जाएगा.

(च) **परीक्षा की तिथि** : लिखित परीक्षा की सही तारीख, समय और स्थान की सूचना शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को पंजीकृत ई-मेल आईडी पर दी जाएगी. किसी भी अन्य निर्देश/संशोधन/अपडेट के लिए समय-समय पर वेबसाइट **www.joinindiannavy.gov.in > Join Navy > Ways to Join > Civilian > Boat Crew Staff** को संदर्भित किया जा सकता है, जो भर्ती पोर्टल से सम्बद्ध है. यह सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा केवल मुंबई में आयोजित की जाएगी. परन्तु, भारतीय नौसेना को, मुंबई या किसी अन्य स्थान या भारत में कई स्थानों पर विभिन्न केंद्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित है.

(छ) **स्क्राकइब** : लिखने में कठिनाई होने वाले अभ्यर्थियों को स्क्राएइब की सुविधा का प्रावधान निम्नानुसार किया जाएगा :-

(i) **40% और उससे अधिक दिव्यांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार :-**

दृष्टि बाधित, चलने-फिरने में अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित - दोहा) और सेरेब्रल पल्सी श्रेणी के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि उम्मीदवार चाहें तो स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, स्क्राइब की अनुमति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 29 अगस्त 2018 के ओएम 34-02/2015-डीडी-III के परिशिष्ट I के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक बाधा है, और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब अनिवार्य है. यदि उम्मीदवार को अपना स्क्राइब लाने की अनुमति है, तो स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक चरण कम होनी चाहिए. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को स्वयं के स्क्राइब का विकल्प चुनते समय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त 2018 के कार्यालय ज्ञापन 34-02/2015-DD-III के परिशिष्ट II में दिए गए प्रारूप के अनुसार स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा.

(ii) 40% से कम विकलांगता वाले पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार : स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा केवल उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, जिसके लिए उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ओएम संख्या 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10 अगस्ता, 2022 के परिशिष्ट-I के अनुसार

(क्रमशः)

सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में बाधा है, और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब अनिवार्य है. यदि उम्मीदवार को अपना स्क्राइब लाने की अनुमति है, तो स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक चरण कम होनी चाहिए. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को स्वयं के स्क्राइब का विकल्प चुनते समय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ओएम संख्या 29-6/ 2019-डीडी-III दिनांक 10 अगस्त- 2022 के परिशिष्ट-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा.

(ज) **प्रश्न पत्र चुनौती तंत्र** : परीक्षा पूरी होने के बाद प्रश्न पत्र और अनंतिम उत्तर कुंजी के बारे में उम्मीदवारों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन विंडो उपलब्ध कराई जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए समय-समय पर भारतीय नौसेना का वेबसाइट/भर्ती पोर्टल देखें.

(झ) **तैराकी परीक्षण** : लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को योग्यता के क्रम में रिक्तियों की संख्या के 1:10 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों के लिए तैराकी परीक्षण आयोजित किया जाएगा. लस्कर-1, फायरमैन और टॉपस के पदों के लिए पीडब्ल्यूबीडी, भूतपूर्व सैनिक और भूतपूर्व अग्निवीरों सहित सभी श्रेणियों के लिए तैराकी परीक्षण अनिवार्य है. तैराकी परीक्षण केवल क्वालिफाइंग किस्म का होगा. तैराकी परीक्षण के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे और इसे केवल 'पास' या 'फेल' के रूप में चिह्नित किया जाएगा. पात्र उम्मीदवारों को पंजीकृत ई-मेल आईडी या डाक द्वारा सटीक तिथि, समय और स्थान की सूचना दी जाएगी.

(i) **तैराकी परीक्षण के मानक इस प्रकार हैं :-**
तैराकी परीक्षण : 50 मीटर तैराकी, उसके बाद 02:30 मिनट फ्लोटिंग (बिना किसी तैरने वाले उपकरण के) और 05 मीटर उछलना.

(ii) तैराकी परीक्षण के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना/कैजुअल्टी की जिम्मेदारी उम्मीदवारों की होगी और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा. तैराकी परीक्षण में भाग लेने से पहले क्षतिपूर्ति बांड भरना आवश्यक है.

(ञ) **नियुक्ति पूर्व औपचारिकताएं** : अनंतिम रूप से चयनित सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं के लिए बुलाया जाएगा. आयु, शिक्षा, पहचान, पता, श्रेणी, जाति, अपेक्षित अनुभव, अनापत्ति (विभागीय उम्मीदवारों के लिए) प्रमाणपत्र आदि से संबंधित सभी दस्तावेज नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं के समय मूल रूप में प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार अनंतिम नियुक्तियां जारी करने से पहले उनकी जांच और सत्यापन किया जाएगा. नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं के लिए तिथि और स्थान की सूचना अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को डाक/मेल/भारतीय नौसेना की वेबसाइट **www.joinindiannavy.gov.in > Join Navy > Ways to Join > Civilian > Boat Crew Staff** के माध्यम से दी जाएगी. यह टैब भर्ती पोर्टल से जुड़ा हुआ है. बीच की अवधि के दौरान पते/ईमेल आईडी में किसी भी बदलाव की रिपोर्ट करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है.

(ट) **अनंतिम नियुक्ति प्रस्ताव** : अनंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा, जो केवल लिखित परीक्षा में उनकी सापेक्ष योग्यता स्थिति और तैराकी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर होगा, जो भारत सरकार और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेज के सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा और अन्य नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं के संतोषजनक पूरा होने के अधीन होगा.

9. **एक से अधिक पदों के लिए आवेदन** : अभ्यर्थियों के पास एक ही आवेदन में एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने का विकल्प है. जिन अभ्यर्थियों ने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक परीक्षा के लिए केंद्र एक या अलग हो सकता है और परीक्षा एक ही दिन/पाली में हो सकती है. यदि परीक्षाएं एक ही दिन में दो अलग-अलग पालियों में हैं, तो आवंटित केंद्र पर पहुंचना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी. यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए गए दो पदों के लिए परीक्षा एक ही पाली में है, तो वह अपनी पसंद के अनुसार केवल एक पद की परीक्षा में उपस्थित हो सकेगा.

10. **ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ होने और बंद होने की तारीख :**

आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण (प्रारंभ होने की तारीख)	ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख (बंद होने की तारीख)	**28 मार्च, 2025**

11. **ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिशा-निर्देश :**
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अधिसूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

(क) उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे वेबसाइट **www.joinindiannavy.gov.in > Join Navy > Ways to Join > Civilian > Boat Crew Staff** का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करें. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और जमा करने के निर्देशों वाले ऑनलाइन सूचना दिशानिर्देश डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है.

(ख) उम्मीदवार के लिए विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य मानदंड पूरे करना और शैक्षिक योग्यता रखना आवश्यक है. इसी तरह, उन उम्मीदवारों को जिन्होंने किसी ऐसे मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जिसमें 'ग्रेड प्वाइंट' प्रणाली अपनायी गई है, तो उन्हें आवेदन करने से पहले उपयुक्त अधिकारियों द्वारा अपने ग्रेड प्वाइंट को अंक प्रतिशत में परिवर्तित करने की आवश्यकता है. वैकल्पिक रूप से, संबंधित बोर्ड से ग्रेड प्वॉइंट और प्रतिशत अंकों के बीच रूपांतरण चार्ट प्राप्त किया जाना चाहिए. यदि यह संभव नहीं होगा, तो शॉर्टलिस्टिंग आदि के लिए न्यूनतम प्वाइंट को अंकों के प्रतिशत के रूप में माना जाएगा.

(ग) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदन पत्र की कोई प्रति या कोई दस्तावेज कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है. परन्तु, उम्मीदवारों को अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना होगा. ई-एडमिट कार्ड **www.joinindiannavy.gov.in> Join Navy > Ways to Join > Civilian > Boat Crew Staff.** से डाउनलोड करना होगा.

(घ) भारतीय नौसेना अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होगी.

(ङ) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र भरते समय, उन्होंने वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रदान किया है क्योंकि भारतीय नौसेना भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए सूचना संप्रेषण के किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकती है. एक बार दर्ज करने के बाद ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी. पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर सूचना प्राप्त न होने के लिए भारतीय नौसेना जिम्मेदार नहीं होगी.

(च) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे पंजीकरण के दौरान उनके द्वारा निर्धारित पासवर्ड याद रखें. पोर्टल में आगे लॉगिन केवल निर्धारित पासवर्ड से ही संभव होगा.

(ज) उम्मीदवारों को उनके हित में दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें.

(झ) उम्मीदवारों को अपना नाम और जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दिए अनुसार ही लिखनी चाहिए. अन्यथा भारतीय नौसेना के संज्ञान में आने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

(ञ) उम्मीदवारों को एक से अधिक आवेदन नहीं करने चाहिए. परन्तु, यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उच्च आवेदन संख्या वाला आवेदन सभी मामलों में पूर्ण होए जिसमें आवेदन किए जाने वाले पद भी शामिल हैं, जिस पर विचार किया जाएगा. कम आवेदन संख्या वाले आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा.

(ट) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज की स्कैन कॉपी (जेपीईजी/जेपीजी/पीएनजी/पीडीएफ जैसा भी लागू हो) तैयार रखें :-

(i) पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ, जो चेहरे और आंखों को ढंके बिना/आवरण रहित सामान्य सफेद पृष्ठभूमि में लिया गया हो, अपलोड करें. अपलोड किया जा रहा फोटोग्राफ तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और उसमें पूरा चेहरा कवर होना चाहिए. जेपीईजी/जेपीजी फोटोग्राफ का आकार 50-100 केबी के बीच होना चाहिए और फोटोग्राफ बिना टोपी/चश्मे के होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए. फोटो का साइज इस प्रकार होना चाहिए :-

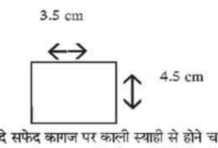

(ii) उम्मीदवार के हस्ताक्षर सादे सफेद कागज पर काली स्याही से होने चाहिए. हस्ताक्षर डिजिटल नहीं होने चाहिए. यह पेन से कागज पर आपके अपने हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी होनी चाहिए. जेपीईजी/जेपीजी में हस्ताक्षर दस्तावेज का आकार 50 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए.

(iii) उम्मीदवार की जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र / मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र की एक प्रति (400 केबी से अधिक न हो).

(iv) पहचान के प्रमाण के रूप में उम्मीदवार के आधार की एक प्रति पीडीएफ प्रारूप में (400 केबी से अधिक नहीं).

(v) पीडीएफ प्रारूप में उम्मीदवार के मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र की एक प्रति (400 केबी से अधिक नहीं).

(vi) पीडीएफ प्रारूप में उम्मीदवार के सेरांग प्रमाण पत्र या समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की एक प्रति (400 केबी से अधिक नहीं).

(vii) सेरांग ऑफ लस्कर के 20 अश्वशक्ति या उससे अधिक के पंजीकृत जहाज पर उम्मीदवार के अनुभव प्रमाण पत्र की एक प्रति या लस्कर-1 के लिए पंजीकृत जहाज पर अनुभव प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो, पीडीएफ प्रारूप में (400 केबी से अधिक नहीं).

(viii) आरक्षित पद के लिए आवेदन करने की स्थिति में उम्मीदवार के जाति/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की एक प्रति पीडीएफ प्रारूप में (400 केबी से अधिक नहीं).

(ix) पीडब्ल्यूबीडी के लिए दिव्यांगता दिखाने वाले प्रमाण पत्र की एक प्रति, यदि लागू हो, पीडीएफ प्रारूप में (400 केबी से अधिक नहीं).

(x) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीडीएफ प्रारूप में जारी भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण दर्शाने वाले प्रमाण पत्र की एक प्रति (400 केबी से अधिक नहीं).

(xi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीडीएफ प्रारूप में जारी पूर्व अग्निवीर का प्रमाण दर्शाने वाले प्रमाण पत्र की एक प्रति (400 केबी से अधिक नहीं).

(xii) केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए, सेवा प्रमाण पत्र की एक प्रति जिसमें उनके विभाग/कार्यालय से निरंतर सेवा की अवधि दर्शाई गई हो (400 केबी से अधिक नहीं).

(xiii) अनुभव प्रमाण पत्र के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज सहित कोई अन्य दस्तावेज (400 केबी से अधिक नहीं).

12. **परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करने के लिए दिशा-निर्देश.**

(क) एडमिट कार्ड पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय और निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना है. प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद परीक्षा केंद्र पर देर से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी.

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है कि वह प्रवेश पत्रक के साथ आयु, शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/अनुशंसा पत्रों की विधिवत स्व-सत्यापित प्रतियां और मूल फोटो पहचान पत्र (पासपोर्ट/आधार/ड्राइविंग लाइसेंस/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र) साथ लेकर आए. ऐसा न करने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे अमान्य माना जाएगा. इसके अलावा, यदि किसी उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(ग) दृष्टिबाधित, चलने-फिरने में अक्षम (दोनों हाथ प्रभावित-दोहा) और मस्तिष्क पक्षाघात से इतर अन्य चिकित्सा श्रेणियों वाले पीडबल्यूबीडी उम्मीदवारों और लिखने में कठिनाई वाले 40% से कम दिव्यांगता वाले पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन के दौरान स्क्राइब के उपयोग के लिए आवेदन किया हो, यह अनिवार्य है कि वे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से जारी प्रासंगिक चिकित्सा प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ लेकर आएं. प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर, उम्मीदवार को स्क्राइब के उपयोग और परीक्षा के दौरान किसी भी प्रतिपूरक समय की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

(घ) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार और लिखने में कठिनाई वाले 40% से कम दिव्यांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन के दौरान स्क्राइब के उपयोग के लिए आवेदन किया है और जो स्वयं के स्क्राइब का उपयोग करना चाहते हैं, के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक वचन पत्र साथ लाएं और प्रस्तुत करें. इसे प्रस्तुत न करने पर, उम्मीदवार को स्वयं लेखक का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, प्रशासन ऐसे उम्मीदवारों को लेखक प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं रखेगा, जो स्वयं लेखक के उपयोग के लिए आवेदन करेंगे.

(ङ) प्रवेश पत्रक पर अंकित नाम उम्मीदवार के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में अंकित नाम के अनुरूप होना चाहिए, सिवाय कुछ परिस्थितियों के, जहां उम्मीदवार ने अपना नाम बदल लिया हो और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करा दिया हो. ऐसी सभी परिस्थितियों में, उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए आधिकारिक राजपत्र की एक प्रति सत्यापन के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी.

13. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश/शर्तें.**

(क) भारत सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के लिए मानक नियम के अनुसार,

(i) अभ्यर्थी या तो

(कक) भारत का नागरिक होना चाहिए, **या**

(कख) नेपाल का नागरिक होना चाहिए, **या**

(कग) भूटान का नागरिक होना चाहिए, **या**

(कघ) तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो, **या**

(कङ) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो.

(ii) परन्तु, यह उपबंधित है कि उपरोक्त श्रेणियों (कख), (कग), (कघ) और (कङ) से संबंधित अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति हो जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो.

(iii) जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाएगा जब उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो.

(क्रमशः)

(ख) भारतीय नौसेना लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगी और इसलिए उम्मीदवारी केवल 'अनंतिम रूप से' स्वीकार की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु आदि की शर्तों को ध्यान से पढ़ें और खुद को संतुष्ट करें कि वे पद के लिए पात्र हैं. उम्मीदवारों द्वारा संलग्न सहायक दस्तावेज को नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं के समय सत्यापित किया जाएगा. आवेदन की जांच करते समय यदि किसी भी स्तर पर उसमें किए गए दावे की पुष्टि नहीं होती है, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में भारतीय नौसेना का निर्णय अंतिम होगा.

(ग) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता और अन्य मानदंड पूरे करता है. आवेदन पत्र में दिए गए विवरण सभी मामलों में सही होने चाहिए. यदि किसी भी स्तर पर उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और अलग से कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

(घ) पद के लिए आयु, शैक्षिक योग्यता, अपेक्षित अनुभव आदि के संबंध में पात्रता का निर्धारण निर्णायक तिथि (अर्थात ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि) के अनुसार किया जाएगा.

(ङ) आयु सीमा में कोई छूट तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में संबंधित कॉलम में श्रेणी उचित रूप से नहीं भरी जाती.

(च) अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपडेट/शुद्धिपत्र तथा अन्य निर्देशों के लिए भर्ती पूरी होने तक वेबसाइट : **www.joinindiannavy.gov.in > Join Navy > Ways to Join > Civilian > Boat Crew Staff** नियमित रूप से देखते रहें (बोट क्रू स्टाफ टैब बाहरी भर्ती पोर्टल से जुड़ा हुआ है).

(छ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पास आयु/अन्य छूट और आरक्षण का दावा करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की नवीनतम प्रति होनी चाहिए तथा मांगे जाने पर उन्हें मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(ज) अपिव के मामले में, उम्मीदवार को मांगे जाने पर वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि उम्मीदवार 'क्रीमी लेयर' से संबंधित नहीं है. प्रमाण पत्र भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 मई 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 36033/1/2013-स्था.(निवास) और दिनांक 30 मई 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्यां 36036/2/2013-स्था-(आरक्षण) में दिए गए प्रारूप के अनुसार होना चाहिए. यदि अपिव प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि ऊपर उल्लिखित प्रारूप के अनुसार नहीं है और वैधता अवधि के भीतर नहीं है, तो उम्मीदवार को सामान्य उम्मीदवार माना जाएगा.

(झ) आयु में छूट का दावा करने वाले केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों को अपने विभाग/कार्यालय से निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें निरंतर सेवा की अवधि के बारे में बताया गया हो, जो निर्णायक तिथि तक कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए. उन्हें चयन की स्थिति में नियुक्ति के समय तक केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी बने रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना चाहिए.

(ञ) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो आरक्षण और आयु में छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें दिव्यांगता का 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना जीएसआर 591 (ई) दिनांक 15 जून 2017 के नियम 18(1) में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया हो.

(ट) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार, जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन 36039/1/2019-स्थापना (आरक्षण) के अनुलग्नक में दिए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा.

(ठ) ऊपर दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है, अर्थात रिक्तियों को बिना कोई कारण बताए घटाया/बढ़ाया या शून्य भी किया जा सकता है. भर्ती प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर बिना किसी नोटिस/कारण बताए रद्द/स्थगित/निलंबित/समाप्त किया जा सकता है. विज्ञापित पदों के लिए नए भर्ती नियम लागू होने की स्थिति में भारतीय नौसेना भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है.

(ड) पदों के लिए आवेदन करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को आयु में छूट/आरक्षण का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 अप्रैल 1991 के कार्यालय ज्ञापन 36034/2/91/स्थापना (एससीटी) के अनुसार एक वचन-पत्र अपलोड/जमा करना चाहिए. भूपूसै, जिन्होंने पहले ही केंद्र सरकार/राज्य सरकार के तहत समूह 'ग' में रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें उच्च ग्रेड में एक और रोजगार प्राप्त करने के लिए भूपूसै के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा. परन्तु, ऐसे उम्मीदवार आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे.

(ढ) लिखित परीक्षा के परिणाम रोजगार समाचार में प्रकाशित किए जाएंगे और वेबसाइट **www.joinindiannavy.gov.in > Join Navy > Ways to Join > Civilian > Boat Crew Staff** (बोट क्रू स्टाफ टैब बाहरी भर्ती पोर्टल से जुड़ा हुआ है) पर भी अपलोड किए जाएंगे. भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों के अंक और रैंकिंग पोर्टल के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. नम्बर 39020/1/2016-स्था (बी) दिनांक 21 जून 16, 28 जुलाई 16 और 21 दिसंबर 2020 के अनुसार सार्वजनिक किए जाएंगे. व्यक्तिगत जानकारी को प्रकाशित न करने का विकल्प उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय चुनना होगा.

(ण) विज्ञापन में उल्लिखित सभी कार्यालय ज्ञापन और सीधी भर्ती के लिए लागू प्रमाणपत्रों के विभिन्न प्रारूप नौसेना की वेबसाइट **www.joinindiannavy.gov.in > Join Navy > Ways to Join > Civilian > Boat Crew Staff** पर भी उपलब्ध हैं. यह टैब भर्ती पोर्टल से जुड़ा हुआ है. संबंधित दस्तावेज भर्ती पोर्टल में 'रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स' के अंतर्गत उपलब्ध है.

(त) भारतीय नौसेना किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जो किसी भी तरह के कदाचार/अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है, तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या उम्मीदवारी के लिए प्रचार करता है. परीक्षा केंद्रों के परिसर में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंधित हैं. परीक्षा के दौरान ऐसे उपकरणों का उपयोग या स्विच ऑफ मोड में होना अनुचित साधनों का उपयोग माना जाएगा. ऐसे सभी उम्मीदवारों को इस परीक्षा के साथ-साथ भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित किया जाएगा.

(थ) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान अपने रहने/खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षा में कोई भी मूल्यवान/महंगा सामान न लाएं, क्योंकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती. इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए भारतीय नौसेना जिम्मेदार नहीं होगी.

(द) पात्रता, उम्मीदवारी की स्वीकृति या अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए दंड, चयन का तरीका, परीक्षा का संचालन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.

(ध) लिखित परीक्षा/नियुक्ति पूर्व औपचारिकताओं के लिए बुलावा किसी भी अभ्यर्थी को चयनित पद के लिए नियुक्ति का हकदार नहीं बनाता है. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो उक्त पद के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है. चयनित पद के लिए उम्मीदवार को नियुक्ति का अनंतिम प्रस्ताव जारी करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.

(न) इस विज्ञापन और/या इसके जवाब में किसी आवेदन से उत्पन्न किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई में ही की जा सकती है और केवल मुंबई में स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/फोरमों (न्यायालय) को किसी भी मामले/विवाद पर विचार करने का एकमात्र और अनन्य क्षेत्राधिकार होगा.

14. परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण/सामान्य अनुदेश.

(क) निम्नलिखित में से किसी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के संबंध में भर्ती के किसी भी चरण में उम्मीदवारी सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगा और उन्हें नीचे दी गई अवधि के लिए भारतीय नौसेना की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा और इसका कोई असर आपराधिक कार्रवाई/परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित किए जाने के भारतीय नौसेना के अधिकार पर नहीं पड़ेगा :-

क्र. सं.	अनुचित तरीके का स्वरूप	प्रतिबंध की अवधि
(i)	परीक्षा से संबंधित कोई सामग्री जैसे प्रश्नपत्र, उत्तर-पुस्तिका रफ शीट्स, उपस्थिति पत्रक की भारतीय नौसेना की प्रति आदि, परीक्षा हाल से बाहर लेकर जाना अथवा परीक्षा के आयोजन के समय उसे किसी अनधिकृत व्यक्ति को सौंपना	3 वर्ष
(ii)	गलत या असत्य बयान देना, महत्वपूर्ण सूचना छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना, आदि	3 वर्ष
(iii)	अपनी उम्मीदवारी के लिए अवैध या अनुचित तरीके से समर्थन हासिल करना/प्रभाव डलवाने की कोशिश करना अथवा उम्मीदवारी के संबंध में अनुचित तरीके अपनाना	3 वर्ष
(iv)	परीक्षा हाल में मोबाइल फोन पाया जाना, चाहे वह 'स्विच ऑफ' या 'स्विच ऑन', जिस भी अवस्था में क्यों न हो	3 वर्ष
(v)	परीक्षा से संबंधित पदाधिकारियों जैसे सुपरवाइजर, इनविजिलेटर, सुरक्षा गार्ड या भारतीय नौसेना के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार, या उन्हें किसी तरह से डराना या धमकाना	5 वर्ष
(vi)	परीक्षा के संचालन में परेशानी पैदा करना या बाधा डालना/अन्य उम्मीदवारों को परीक्षा में न बैठने के लिए भड़काना	5 वर्ष
(vii)	कोई ऐसा उम्मीदवार जो उसी परीक्षा से संबंधित सामग्री पर काम कर रहा हो, जिसमें वह स्वयं बैठने जा रहा हो	5 वर्ष
(viii)	परीक्षा से संबंधित ढांचे/उपकरणों को क्षति पहुंचाना	5 वर्ष
(ix)	जाली प्रवेश पत्रक या पहचान प्रमाण के साथ परीक्षा में बैठना	5 वर्ष
(x)	परीक्षा हाल में अनधिकृत स्रोतों से नकल करना जैसे कागज या शरीर के हिस्सों पर लिखित सामग्री से	5 वर्ष
(xi)	किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा में बैठाना या किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा में बैठना	7 वर्ष
(xii)	ब्लू टूथ डिवाइस, स्पाइ कैमरों और कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा हाल में पाया जाना	7 वर्ष
(xiii)	प्रश्नपत्र या परीक्षा सामग्री, प्रयोगशाला आदि के स्नैप शॉट्स लेना, या वीडियो तैयार करना.	7 वर्ष
(xiv)	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/ऐप्स/लैन आदि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल साझा करना	7 वर्ष
(xv)	परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान या बाद में किसी भी बिंदु पर परीक्षा सर्वर, डेटा और परीक्षा प्रणाली को हैक करने या हेरफेर करने का प्रयास	7 वर्ष
(xvi)	परीक्षा के दौरान आग्नेय अस्त्र/हथियार रखना	7 वर्ष

(ख) उम्मीदवारों की उम्मीदवारी किसी ऐसे अन्य आधार पर भर्ती के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसे सक्षम प्राधिकारी ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण मानते हों या उम्मीदवार ने परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लिया हो.

(ग) साथी, यदि कोई हो, को कार्यक्रम स्थल पर या उसके आसपास जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी साथी को न लाएं.

(घ) उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और परीक्षा से पहले, यदि कोई विसंगतियां हों, तो उन्हें निरीक्षक के ध्यान में लाना चाहिए.

(ङ) उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि वे भर्ती परीक्षा में स्वयं के जोखिम पर हिस्सा लें, अर्थात यह सत्यापित करने के बाद कि आप विज्ञापन में योग्यताओं को पूरा करते हैं और परीक्षा में प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम है.

15. डिस्क्लेमर

(क) इस विज्ञापन में दिए गए नियम और शर्तें परिवर्तन के अधीन हैं और इसलिए, केवल दिशानिर्देश के रूप में माना जाना चाहिए.

(ख) यदि किसी उम्मीदवार को अनवधान के कारण प्रवेश पत्रक जारी किया जाता है या परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो किसी भी समय उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा.

16. उम्मीदवारों के लिए चेतावनी

दलालों से सावधान रहें, जो आपको गैर कानूनी तरीके से नौकरी के लिए चुने जाने का झूठा आश्वासन देकर गुमराह कर सकते हैं. चयन पूरी तरह से योग्यता पर आधारित होगा. इस भर्ती के लिए किसी को भी कोई धनराशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि झूठे आश्वासन या किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार न हों और किसी भी तरह से अनैतिक तत्वों को बढ़ावा न दें. इस बात को महत्व देकर स्पष्ट किया जाता है कि लिखित परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता पर आधारित और पारदर्शी ढंग से होगी.

भारतीय नौसेना में भर्ती पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जाती है.

उम्मीदवार किसी भी स्पष्टीकरण/सहयोग के लिए हमें निम्नांकित पर

ईमेल : ndmbiboatcrew@gmail.com कर सकते हैं.

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वें रु 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं।

– संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है।

– सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
धर्मपाल मीना
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
डॉ. संजीव सोलंकी
सहायक निदेशक(प्रकाशन), राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001
e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in

स्वत्त्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक सहायक निदेशक(प्रकाशन) द्वारा डी.बी. कॉर्प लि. 10, जेएलएन मार्ग, जयपुर, फोन - 01416658888 (भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, टोंक रोड़, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक - डॉ. संजीव सोलंकी